न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/2018
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2018/00233

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये : भूमिधारी तहसीलदार पाली	:	1. श्रीमती सरला देवी पत्नी मदनलाल साकिन मकान संख्या 35 हरिजन बस्ती पाली (राज.) 2. रविदास पुत्र मदनलाल जाति हरिजन निवासी 35 हरिजन बस्ती पाली राज.) 3. ऋषि कुमार पुत्र मदनलाल 35 हरिजन बस्ती पाली (राज.) 4. सुभाष पुत्र मदनलाल 35 हरिजन बस्ती पाली (राज.) 5. किरण पत्नी उमाशंकर जाति हरिजन निवासी 41 बी कुम्हार वाडा आबूपर्वत तहसील आबूरोड़ (राज.) 6. बबीता पत्नी गोपाल जाति हरिजन निवासी 597 इन्द्राकॉलोनी आबू पर्वत तहसील आबूरोड़ (राज.) 7. ललिता पत्नी ओमप्रकाश जाति हरिजन निवासी 597 इन्द्राकॉलोनी माउण्ट आबू तहसील आबूरोड़ (राज.) 8. पिंकी देवी पत्नी निखिल कुमार जाति हरिजन निवासी 582 लौंगिया मोहल्ला अजमेर तहसील अजमेर (राज.) 9. ममता देवी पत्नी शैलेष कल्ला जाति हरिजन निवासी 582 लौंगिया मोहल्ला अजमेर तहसील अजमेर (राज.) 10. नीलू पुत्री अशोक कुमार जाति हरिजन निवासी 35 पुराना बस स्टेण्ड पाली (राज.) 11. गंगा सागर पुत्र अशोक कुमार जाति हरिजन निवासी 35 पुराना बस स्टेण्ड पाली (राज.) 12. सरोज देवी पत्नी अशोक कुमार जाति हरिजन निवासी 35 हरिजन बस्ती पुराना बस स्टेण्ड पाली (राज.)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित :– :

सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित।

Scanned with ACE Scanner

—: निर्णय :—

दिनांक :— 02.12.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र उप जिलाधीश पाली के आदेश क्रमांक/पी.ए./81/2682 दिनांक 31.12.1981 की पालना में अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पाली प्रथम तहसील पाली तहसीलदार पाली जिला पाली के खसरा संख्या 7/8 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी दोयम के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन रेकर्ड तलब किया गया। सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण को न्यायालय में बार—बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद वक्त बहस अनुपस्थित आए। बहस सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी के पक्ष में जैर आवंटन होने के बाद भी आज दिनांक तक अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी ही दर्ज है। जैर आवंटन सन् 1981 को हुआ उसके बाद आज दिनांक तक अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः आवंटन के 38 वर्षों के बाद तक राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज रहने व इतने लम्बे समय के बाद भी कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से जैर आवंटन काबिले खारिज है। अतः जैर आवंटन आदेश विधिनुसार पारित नहीं किये जाने से खारिज फरमावे।

बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में ग्राम पाली तहसील पाली के खसरा संख्या 7/8 रकबा 05 बीघा के आवंटन दिनांक 09.06.1981 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी का प्रथम उज यह है कि आवण्टी, जैर आवंटन के 37 वर्षों बाद तक राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी द्वारा 10 वर्षों तक आवंटन नियमों की पालना किये जाने पर आवंटी को राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाता है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार आवंटी, आवंटन के 37 वर्षों बाद भी राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार ही दर्ज है साथ ही आवंटी द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत् कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे सुस्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई।

इसी प्रकार प्रार्थी ने अन्य उज यह लिया है कि आवंटी का जैर आराजी पर विधिनुसार कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी का उक्त कथन पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी का अवलोकन करने पर प्रमाणित होता है कि वक्त आवंटन से आज दिनांक तक आवंटी द्वारा जैर आराजी पर काश्त नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमों की अवहेलना हुई है व आवंटी ने कब्जा काश्त करने बाबत् कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है।

लिहाजा हम विपक्षी आवण्टी को किये गये आवंटन को बनाये रखने का कोई आधार नहीं पाते। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार कर तहसीलदार पाली को जैर आराजी को कब्जेराज में लेकर जैर आराजी को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner